न्यायालय :— वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, डेगाना
भैरूराम वगैरह बनाम मस्तुराम वगैरह
दीवानी विविध प्रकरण सं. 16/2024

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
03.07.2024	प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्रीमती हर्षा चौधरी उपस्थित। अप्रार्थी सं 1 के अधिवक्ता श्री हनुमानराम मेघवाल उपस्थित। अप्रार्थी सं 2 व 3 के अधिवक्ता श्री कमलेश नारायण व्यास उपस्थित। अप्रार्थी सं 4 व 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही। इस आदेश के द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का निस्तारण किया जा रहा है। अप्रार्थीगण की तरफ से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण ने उक्त अनुवान का वादपत्र मय स्थगन प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अदालत हाजा में ग्राम मेवडा की जमीन खसरा नं 396 पुराने व नये खसरा नं 458 बाबत प्रस्तुत किया व इस जमीन बाबत दावा घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया व बेचान दस्तावेज क्रम सं 2017002032 को प्रार्थीगण के हितों के प्रति निष्क्रिय एवं प्रभाव शून्य घोषित कराने बाबत पेश किया है, जबकि घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा राजस्व जमीन बाबत सुनने का केवल मात्र हक अधिकार राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है। उक्त वादपत्र व प्रार्थना पत्र सुनने का हक अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त नहीं है। सिविल न्यायालय में केवल मात्र बेचान दस्तावेजात को निरस्त करने का प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इस वादपत्र में प्रार्थीगण ने बेचान दस्तावेज को निरस्त करने की इस्तदुवा नहीं चाही व न ही वाद पत्र के शीर्षक में बेचान दस्तावेज बाबत दावा पेश करने का लिखा है, केवल मात्र घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत दावा पेश किया, जो राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है व दावा विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज के है। इस जमीन बाबत माननीय उपखण्ड अधिकारी डेगाना की अदालत में दावा व स्थगन प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहा व स्थगन प्रार्थना पत्र की अपील राजस्व प्राधिकारी अधिकारी नागौर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें मस्तुराम प्रतिवादी के पक्ष में आदेश हुआ, जिसकी अपील वादीगण ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे की, जहां पर उनकी रिविजन खारिज हो गयी थी, जिससे भी अब उक्त प्रकरण सिविल न्यायालय में कानूनन नहीं चल सकता है। अंत में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने व सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने से खारिज करने की प्रार्थना की। दूसरी ओर प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया, जिसके तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थना पत्र का फिकरा नं 1 आंशिक रूप से सही है। अप्रार्थी ने अपने इस फिकरे में यह तथ्य कहीं पर भी दर्ज नहीं किये कि उक्त वादपत्र किस विधि के अंतर्गत राजस्व न्यायालय में ही पेश किया जा सकता है और उक्त वादपत्र का सुनने का एकमात्र हक, अधिकार, राजस्व	

न्यायालय को ही प्राप्त है। बेचान दस्तावेज निरस्त करने एवं बेचान दस्तावेज को शून्य घोषित करना का शाब्दिक अर्थ एक ही है। सही तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा माननीय राजस्व न्यायालय डेगाना में इस आधार पर पेश किया था कि वाके मौजा मेवड़ा की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नं 396 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा जिसके नये खसरा नं 458 रकबा 2.9400 हेक्टेयर उक्त जमीन वादीगण की पूर्वजों की जमीन है और अप्रार्थी सं 1 के पिता जवानाराम इस जमीन का हस्तांतरण करने पर आमादा है, इसलिए अप्रार्थी सं 1 के पिता उक्त खसरे की जमीन का हस्तांतरण नहीं करे, इस पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया था, इसकी अपील अप्रार्थीगण द्वारा करने पर माननीय आरएए नागौर ने माननीय उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी स्थगन आदेश को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि प्रार्थीगण को उक्त विवादग्रस्त जमीन के बेचान बाबत सिविल न्यायालय में वादपत्र पेश करना था। साथ ही **मजीद उजरात** में अभिकथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी तभी पेश किया जा सकता है, जब उक्त वादपत्र किसी विधि द्वारा वर्णित हो, कभी स्टाम्प हो और उस बाबत न्यायालय द्वारा कभी स्टाम्प पूरी करने का आदेश के बावजूद कमी पूर्ति नहीं की गयी हो या किसी प्रकार का बिनाय दावा बाबत तथ्य दर्ज नहीं किये गये हो। अंत में अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने एक वादपत्र मय स्थगन प्रार्थना पत्र दावा घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। वादपत्र के पैरा सं 9 के अंत में वर्णित किया कि उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा वादीगण एंव प्रतिवादी सं 2 व 3 के हितों के विपरीत होने से वो इनके हितों के प्रति निष्क्रिय एवं प्रभावशून्य होने से उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा को वोईड घोषित कराने हेतु वादीगण दावा बाबत घोषणा का पेश करता है। इसके अलावा वादपत्र के पैरा सं 15 में भी रजिस्टर्ड बेचाननामा को वोईड घोषित करवाना चाहते हैं, उल्लेखित किया है। दावा इस्तदुवा में भी वादीगण ने वर्णित किया है कि वादीगण हितों के प्रति निष्क्रिय और प्रभावशून्य होने से वोईड घोषित किया जावे। इस प्रकार वादी का वाद विवादित दस्तावेज को निष्क्रिय व प्रभावशून्य होने से उसे वोईड घोषित कराने का पेश किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उठाये उजर आपत्ति पोषणीय नहीं होने से अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज योग्य है।

–: आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी अस्वीकार कर **खारिज** किया जाता हैं। आदेश सुनाया गया। **आदेश की प्रति (Web Copy) ई–कोर्ट वेबसाईट पर अपलोड की जावें।** पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 02.09.2024 को पेश हो।